संख्या- 993 /43-2-2005

ற்பும்,

िंगरिराज धान**ं,** पृद्धा तभाव, उट्टर प्रेशा शासन ।

तेना थे.

तमस्त प्रमुख साधिब∕साविध, उत्तर प्रदेश भारत ।

प्रवास्ति विक तुमार अनुभाय-2 नहांकः विकासः विकासः - तूबना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शुल्क के तंबंध में ।
महोत्तर्गं,

्रांतर का अधिकार अधितियम, 2005 रिनार्क 12-10-2005 से लागू हो अप है, किलको प्रति आपको पूर्व में प्रेहित करते हुए अधितियम के प्रापिधानों के दृहिहास आस्थायक कार्यवाही हेतु अनुरोध क्या जा मुका है।

2- ाधिनियम की धारा 6311 में यह प्राधिधान है कि कोई भी व्यक्ति जो पूजना प्राप्त करना बालता है, विश्वित आयेदन एउ देशा व ऐता कुलक देशा जो निर्धारित किया भया हो ।

3- अधिनियम की धारा 27121 में तरकार द्वारा लिए जाने वाले शुल्क के नियमावली बनाये जाने की कार्यवाही पुचलित है।

म- उपरोक्त प्रारिधानों के दूरिटयत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृष्या तुन्ता का अधिकार अधिकाम, 2005 की धारा 27 म्हाम्बीमाती के अधिकार विस्ति विस्ति कि किन्ति विस्ति विस्ति विस्ति कि किन्ति किन्ति

का का कि नियम की पारा 6 की उपधारा-। के अन्तर्गत तूमना प्राप्त करने हेतु क्रिशीकी रेखा के नियं जीवन यापन करनेपाले व्यक्ति से कोई अल्क नहीं ली जायेगी जिसके लिए उसे प्रमाण पन देना होगाक

। १२ विली अभिनेष्य की प्रतिनिधि हेतु । १८-५। या । १९-३। साइन पेपर यर प्रतिनिधि । १३ व्यक्तिकी साइन के पेपर पर प्रतिनिधि हेत

ाक∦तेम्पल्य अथवा माउल्स के तिह उनका वारकारीक मूल्य और करा सूचना द्यारे मूल्य ते तंरीका है करा निर्माहित कार मुल्य रु० 10-00 1प्रति आवेदन पत्रा

रु० २ -०० • प्रतिषूष्ट**ः** • या स्तिषिक व्यय प्रतिषूष्ट**ः**।

15 1 अभिनेता का निरीक्षण प्रथम घण्टा ः उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट की अवधि के लिए ₹0 5-00 161 डिस्केट या फ्नापी या कम्पैक्ट डिस्क €0 50-00 द्वारा तुवना प्राप्त करने पर 1प त्येक। #7 # ग्रिटेड सामग्री की सुवना हेत ऐसे प्रिटेड तामग्री की प्रकाशक की नियत दर पर 18 1 प्रकाशित सामगी के उद्धरण की प्रतिप्षठ ₹0 2-00 फोटोकापी के लिए ।प्रतिगृह्ठ। उपरोक्तानुसार निधारित शुल्क नकद अथवा संबंधित लोक प्राधिकारी को देश दिशाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर वेक ते लिया जा तकेगा तथा प्रत्यावेदन कर्ता को शुल्क रितीद प्रदान की जायेगी। कृषया अपने अधीन सभी 'िभागाध्यक्षी'/कार्यालयाध्यक्षी' को उनत ते अवगत कराने का कटट करें। मण्डलायुक्त एवं जिला धिकारी अपने मण्डल एवं जनपद के सभी कार्यावायों को अपने स्तर ते भी अवगत करा देवें व निर्दिष्ट कर देवें कि ार्च 🕬 ™ कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीन सभी जन सूचनाअधिकारियों, को इन आदेशों से अवगत करा देवे । 7- यह आदेश चित्त विभाग के अवभावपवर्त ई-9-542/दस-05 दिना क 19- x - 05 के अनुसार निर्गत किया जा रहा है। भवदीय, of other misses गिरिराज वर्मा प्रमुख तचिव। रिख्या- 993 111/43-2-2005 सिट्टिना क

प्रतिलिपि निम्नलिखिति को सूचनार्थ एवं आवायक कार्यवाही हेतू पे छित :-

- 1- तमस्त मण्डलायुवत, उत्तर प्रदेश ।
- 2- सगस्त जिना धिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- तमस्त विभागाध्यक्ष, उ०प० शासन् ।

। नवतेज सिंह सचिव ।